प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 28.04.2026

- **थाना रनियां पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये अवैध असलाह के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 28.04.2026 को थाना रनियां पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर कटका रोड स्थित शिवा होटल एंड रेस्टोरेंट के पास से एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लिया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गई तो इसने अपना नाम दीपू सिंह पुत्र जगदीश सिंह उम्र करीब 27 बर्ष निवासी किसरवल रोड रनियां थाना रनियां कानपुर देहात बताया तथा इसकी जामा तलाशी से 01 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद हुआ। अवैध तमंचा रखने के सम्बन्ध में पूछा गया तो कोई संतोषजनक उत्तर नही दे सका। अवैध शस्त्र की बरामदगी के आधार पर थाना रनियां पर मु0अ0स0 065/26 धारा 3/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को चिकित्सा परीक्षण कराते हुये नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

दीपू सिंह पुत्र जगदीश सिंह उम्र करीब 27 बर्ष निवासी किसरवल रोड रनियां थाना रनियां कानपुर देहात उम्र 27 वर्ष

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 036/26 धारा 115(2)/191(2)/333/351(2)/352 बीएनएस व 3(1)(द) एससी/एसटी एक्ट थाना रनियां कानपुर देहात

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध शस्त्र 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली थाना रनियां पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार पाल
2. हे0का0 10 संजय सिंह
3. का0201 नरेन्द्र राणा